कार्यालय मेलाधिकारी (कुम्भ मेला)
मेला नियंत्रण भवन, हर की पैड़ी, हरिद्वार।

पत्रांक 99 /कु0मे0 2021/नियुक्ति/2019–20/दिनांक 26.06.2019

प्रेस विज्ञप्ति

महा कुम्भ मेला 2021 हेतु मेलाधिष्ठान, हरिद्वार में शासनादेश सं0 3461/IV(3)2017–04(3 महाकुम्भ)/2018 शहरी अनुभाग–3/दिनांक 02.01.2019 द्वारा निम्नानुसार स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत/ सेवानिवृत्त कर्मियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	प्रशासनिक अधिकारी	01	44900 – 142400 लेवल–7
2	नायब तहसीलदार	02	35400 – 112400 लेवल–6
3	लेखाकार	01	35400 – 112400 लेवल–6
4	व्यैक्तिक सहायक	03	35400 – 112400 लेवल–6
5	प्रधान सहायक	01	35400 – 112400 लेवल–6
6	वरिष्ठ सहायक	01 स्थाई पद	29200 – 92300 लेवल–5
7	सहायक लेखाकार	01 स्थाई पद	29200 – 92300 लेवल–5
8	कनिष्ठ सहायक	05	21700 – 69100 लेवल–3
9	डाटा एन्ट्री आपरेटर	02	21700 – 69100 लेवल–3 राजकीय कार्मिक/आउटसोर्सिंग
10	ड्राफ्ट्स मैन	01	21700 – 69100 लेवल–3 राजकीय कार्मिक/आउटसोर्सिंग
11	नगर नियोजक	01	56100 – 177500 लेवल–10 राजकीय कार्मिक/आउटसोर्सिंग
12	विधिक सलाहकार	01	44900 – 142400 लेवल–7 राजकीय कार्मिक/आउटसोर्सिंग
13	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	28200 – 92300 लेवल–5 राजकीय कार्मिक/आउटसोर्सिंग

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति निम्न शर्तों की अधीन होगी :–

01. उक्त पदों पर सम्बन्धित पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुरूप महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होगें।
02. यदि उपरोक्त पदों में से किसी पद पर कलेक्ट्रेट अधिष्ठान, हरिद्वार के कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, तो उन्हें कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा, क्योंकि प्रतिनियुक्ति भत्ता मात्र वाहय सेवा में नियुक्ति होने पर ही अनुमन्य है। कलेक्ट्रेट/विभाग के कर्मचारी कुम्भ मेला अधिष्ठान में स्थानान्तरित माने जायेगें। मेलाधिष्ठान में नियुक्त ऐसे कर्मचारियों को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–दो से चार के मूल नियम–19 के साथ पठित मूल नियम–9 के उपनियम–25 ए के अधीन स्थाई तथा अस्थाई कर्मचारी को मेला अधिष्ठान/कुम्भ क्षेत्र नियंत्रण एवं व्यवस्था समिति में नियुक्ति से पूर्व कलेक्ट्रेट/विभाग से मिल रहे वेतन का 10 प्रतिशत विशेष वेतन अनुमन्य होगा।
03. उक्त पदों पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति में पूर्व कुम्भ/अर्द्ध कुम्भ मेलों के अनुभवी व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
04. क्रमांक 09,10,11,12,13 के पदों पर राजकीय कार्मिकों को प्राथमिकता दी जायेगी। राजकीय कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी भरा जा सकता है।
05. ड्राफ्ट्स मैन पद हेतु अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा परिषद से हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा पास की हो तथा उत्तराखण्ड़ सरकार द्वारा या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल या मैकेनिकल ड्राफ्ट्स मैन का डिप्लोमा प्राप्त किया हो। अभ्यर्थी को राजकीय कार्यों से सम्बन्धित न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो।
06. नगर नियोजक पद हेतु अभ्यर्थी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्व विद्यालय से टाउन प्लानिंग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो तथा उसे टाउन प्लानिंग से सम्बन्धित कार्यों का 02 वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में कार्य अनुभव को वरीयता दी जायेगी।
07. विधिक सलाहकार पद हेतु अभ्यर्थी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्व विद्यालय से विधि विषयों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो तथा उसे न्यूनतम 02 वर्ष पूर्व उत्तराखण्ड़ बार काउन्सिल/अखिल भारतीय बार

काउन्सिल में पंजीकृत हो। मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल होने वाले रिटों के नैरेटिव बनाने का अनुभव हो। विधिक सलाहकार पद हेतु अन्य शर्तें कार्यालय/ https://haridwar.nic.in पर देखी जा सकती है।

08. कम्प्यूटर प्रोग्रामर पद हेतु अभ्यर्थी बी0ई0/बी0टेक(कम्प्यूटर इंजि0/साईंस/आई0टी0) अथवा एम0एस0सी0(कम्प्यूटर साईंस/आई0टी0) अथवा एम0सी0ए0 तथा 03 वर्ष का कार्यानुभव होने के साथ ही वेब डिजाईनिंग तथा मोबाईल एप्लिकेशन डिजाईनिंग का अनुभव हो। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में कार्य अनुभव को वरीयता दी जायेगी।

09. मेला समाप्त होने पर उक्त सभी पद स्वतः समाप्त हो जायेगें तथा पदों के सापेक्ष तैनात किये गये सभी राजकीय कर्मी अपने मूल विभाग में वापस हो जायेगें तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात कार्मिकों की सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेगीं।

10. पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 20.07.2019 को सायं 05:00 बजे तक उचित माध्यम से कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए।

11. अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा दूरभाष सं0 01334–224457 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

दीपक रावत,
मेलाधिकारी,

महाकुम्भ मेला–2021, हेतु मेलाधिष्ठान, हरिद्वार में नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदित पद का नाम ....
2. आवेदक का नाम ....
3. पिता/पति का नाम ....
4. कार्मिक कोड सं0 ....
5. जन्म तिथि .... दिनांक 01.07.2019 को आयु ....वर्ष..................माह..............दिन
6. पत्र व्यवहार का पता ....
7. दूरभाष (मोबाईल सं0) ....
8. वर्तमान पद का नाम .... प्राप्त वेतनमान ....
9. वर्तमान पद पर कार्यरत रहने की अवधि ....
10. विभाग का नाम ....
11. कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान है, तो उसका पूर्ण विवरण ....
    ....
12. सेवानिवृत्ति का पद एवं विभाग (सेवानिवृत्त कार्मिकों के सम्बन्ध में) ....
13. शैक्षिक योग्यता ....
14. कार्यानुभव ....
15. विगत कुम्भ/अर्द्धकुम्भ मेले में कार्य का अनुभव (यदि कोई हो) ....
16. कम्प्यूटर टाईपिंग का ज्ञान (हाँ/नहीं) ....

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचना सत्य एवं सही है। भविष्य में किसी जानकारी के असत्य अथवा गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

दिनांक :–

स्थान :–

आवेदक के हस्ताक्षर

कम्प्यूटर प्रोग्रामर

1. कम्प्यूटर प्रोग्रामर की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर कुम्भ मेला कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा मेला समाप्ति के विम्बतमः 06 माह अथवा मेलाधिकारी/शासन के अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए की जानी है। उक्त पद के सापेक्ष नियुक्ति आउटसोर्सिंग से ही किया जाना उचित होगा।

2. कम्प्यूटर प्रोग्रामर की नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें :–
   1. अभ्यर्थी बी0ई0/बी0टेक(कम्प्यूटर इंजि0/साईंस/आई0टी0) अथवा एम0एस0सी0(कम्प्यूटर साईंस/ आई0टी0) अथवा एम0सी0ए0 तथा 03 वर्ष का कार्यानुभव होने के साथ ही वेब डिजाईनिंग तथा मोबाईल एप्लिकेशन डिजाईनिंग का अनुभव हो। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में कार्य अनुभव को वरीयता दी जायेगी।

   2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड़ राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।

मेलाधिकारी

महोदय,

कृपया पत्रावली में दाहिनी ओर रक्षित शासनादेश सं0 3461/IV(3)2017–04(3 महाकुम्भ)/2018 शहरी अनुभाग–3/दिनांक 02.01.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आगामी महाकुम्भ मेला 2021 हेतु मेलाधिष्ठान में अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति मेला कार्य समाप्त होने अथवा मेला समाप्ति के अधिकतम 06 माह तक की अवधि के लिए प्रदान की गयी है। जिनकी निरन्तरता की स्वीकृति वर्तमान में दिनांक 28.02.2020 तक प्राप्त है।

02. उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि महाकुम्भ मेला 2021 की व्यवस्थाओं के सुचारू सम्पादन हेतु वर्तमान में महोदय द्वारा 01 अपर मेलाधिकारी एवं 01 उप मेलाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त मेलाधिष्ठान में तकनीकी प्रकोष्ठ में अभियंताओं की तैनाती भी शासन द्वारा की जा चुकी है। अधिष्ठान में पूर्व से 01 उप मेलाधिकारी, 01 वित्त नियंत्रक तथा 01 विशेष कार्याधिकारी कार्यरत हैं।

03. वर्तमान में कार्यालय कार्यों के सम्पादनार्थ 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्सिंग एजेन्सी उपनल के माध्यम से कार्यरत हैं। जिनमें से 01 कर्मचारी के दिनांक 19.06.19 में दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर होने के कारण दिनांक 20.06.19 से कार्यालय आने में असमर्थ है। जिस कारण वर्तमान में केवल 01 ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने के कारण कार्यालय के सामयिक कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

04. वर्तमान में इस कार्यालय में हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण में पंजीकृत आउटसोर्सिंग एजेन्सी मै0 अवनी परिधि, लखनऊ के माध्यम से 03 सफाई कर्मचारी, 01 माली तथा 01 डाटा एन्ट्री आपरेटर कार्यरत है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के आधार पर उक्त आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कार्यालय कार्यों के सम्पादनार्थ 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 01 डाक रनर तथा 01 इलैक्ट्रिशयन/जनरेटर ऑपरेटर की नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान करना चाहें।

विधिक सलाहकार

01. विधिक सलाहकार की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर कुम्भ मेला अवधि या दिनांक 31.10.2021 तक के लिए ही की जानी है। जिस हेतु उचित होगा कि विधिक सलाहकार की नियुक्ति आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से की जाये।

02. विधिक सलाहकार की नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें :–

1. अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि विषयों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी न्यूनतम 02 वर्ष पूर्व उत्तराखण्ड़ बार काउन्सिल अथवा अखित भारतीय बार काउन्सिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। स्थानीय (हरिद्वार, ऋषिकेश) बार एसोसिएशन में पंजीकृत अधिवक्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. अभ्यर्थी को मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल होने वाली रिटों का नैरेटिव बनाने का अनुभव होना अनिवार्य है।
4. अभ्यर्थी को राजकीय वादों की पैरवी का अनुभव होना अनिवार्य है।
5. अभ्यर्थी को सिविल एवं राजस्व वादों में पैरवी किये जाने का अनुभव होना अनिवार्य है।
6. अभ्यर्थी को गत 02 वर्षों में राजस्व व सिविल न्यायालय में पैरवी किये गये वादों की सूची अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
7. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ पूर्ण स्वपता लिखा हुआ पंजीकृत लिफाफा संलग्न करना होगा।
8. जिला शासकीय अधिवक्ता या अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के सहयोगी के रूप में कार्य करने वाले अधिवक्ता का वरीयता दी जायेगी।

नगर नियोजक

1. नगर नियोजक की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर कुम्भ मेला कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा मेला समाप्ति के विम्बतमः 06 माह अथवा मेलाधिकारी/शासन के अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए की जानी है। उक्त पद के सापेक्ष नियुक्ति विभागीय प्रतिनियुक्ति/आउटसोर्सिंग से ही किया जाना उचित होगा।

2. नगर नियोजक की नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें :—
   1. अभ्यर्थी उत्तराखण्ड़ सरकार में किसी भी विभाग में समान पद पर कार्यरत हो तथा उसे राजकीय कार्यों का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो।

      अथवा

   2. अभ्यर्थी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्व विद्यालय से टाउन प्लानिंग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो तथा उसे टाउन प्लानिंग से सम्बन्धित कार्यों का 02 वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में कार्य अनुभव को वरीयता दी जायेगी।

   3. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड़ राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।